



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड—(ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 14 अगस्त, 1987

श्रावण 23, 1909 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

नगर विकास अनुभाग-5

संख्या 4258/11-6-87-100 एन० ए०-87

लखनऊ, 14 अगस्त, 1987

अधिसूचना

प० भा०—963

भूमि प्रजन्त अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन राज्यपाल सर्वसाधारण की सूचना के लिये अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई धनसूची में उल्लिखित भूमि को लोक प्रयोजन, भरण, सुतियोजित विकास योजना के अन्तर्गत मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा समायोजित तथा कासिमपुर परगना सह सीले व जिला मेरठ में प्रादेशीय/व्यवसायिक भवनों के निर्माण के लिये आवश्यक है।

भूमि राज्यपाल की राय है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उक्त भूमि पर लागू नहीं है क्योंकि उक्त भूमि को सुतियोजित विकास योजना के अन्तर्गत मेरठ जिला में मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा समायोजित/व्यवसायिक भवनों के निर्माण के लिये आवश्यक है। प्रादेशीय/व्यवसायिक भवनों के निर्माण के लिये भी आवश्यक है कि उक्त अधिनियम की धारा 15-क के अधीन जात करने में सम्भावित विलम्ब को विनिश्चित किया जाय, अतएव राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निवेदन करते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 15-क के उपबन्ध लागू नहीं होगा।

1	2	3	4	5
Meerut—(Contd.)	Meerut—(Contd.)	Naglatashi Kasimpur—(Contd.)		B. B. B.
		279		1 10 13
		280		0 7 13
		282		1 7 18
		284		1 5 2
		285		8 14 8
		286		0 12 10
		287		0 18 2
		288		0 17 15
		289		0 17 18
		292		1 13 3
		297		1 7 17
		298		0 8 0
		299		0 8 0
		300		1 3 19
		301		0 9 0
		302		3 6 12
		303		0 8 0
		304		1 6 12
		306		0 14 5
		309		0 6 15
		310		1 0 4
		314/1		0 16 7
		314/2		0 10 8
		315		1 12 4
		316		1 12 17
		317		3 10 15
		322		1 9 14
		323		1 6 17
		324		0 7 10
		325/1		0 1 0
		325/2		5 3 10
		325/3		0 12 15
		325/4		1 5 0
		326		0 7 0
		330		0 3 11
		344		1 3 0
		348		1 6 5
		293		0 16 0
		357		1 3 15
		358		0 10 0
		359		2 19 17
		360		0 5 0
		363		0 12 15
		364		0 12 15
		365		0 14 10
		366		6 9 10
		370		1 11 14
		371		1 4 11
		372		2 4 11
		377		0 10 8
		378		0 6 4
		379		0 6 2
		381		0 0 5
		382		0 2 8
		383		5 17 10
		384		1 11 5
		385		0 15 0
		386		3 16 0
		388		1 8 0
		389		0 0 8
		391		0 12 3

1	2	3	4	5
Meerut —(Contd.)	Meerut —(Contd.)	Naglatashi Kasimpur— (Contd.)		B. B. B.
			392	0 12 11
			393	1 15 18
			394	0 14 4
			395	0 12 12
			396	0 12 11
			398	0 13 18
			404	1 15 0
			405	0 13 0
			406	1 6 0
			407	1 8 0
			408	0 4 0
			409	2 17 0
			413	0 12 0
			415	1 1 0
			419	2 13 2
			421	0 11 0
			422	0 6 10
			423	2 18 18
			424	3 16 10
			425	0 13 10
			426	0 2 0
			427	0 10 0
			428	1 7 0
			429	0 13 0
			430/1	0 5 0
			430/2	1 2 0
			431	0 2 0
			432	0 4 0
			433	0 4 0
			434	0 7 0
			435	1 8 0
			436	0 9 0
			437	0 5 0
			438	0 5 0
			439	0 6 0
			440	1 10 0
			441	0 11 5
			442	0 11 10
			443	0 3 5
			444	2 3 10
			445	20 14 10
			446	0 6 0
			447	1 5 0
			448	0 9 0
			449	0 15 0
			450	2 7 0
			451	0 11 0
			452	0 19 0
			453	3 0 0
			454	1 17 0
			455	1 10 0
			456	6 0 0
			469	8 1 10
			471	0 9 5
			472	1 15 0
			555	3 3 0
			556	0 6 0
			557	0 7 0
			558	0 16 10
			559	0 10 15
			560	0 2 0
			561	0 8 10
			562	2 0 0

1	2	3	4	5
Meerut —(Concl'd.)	Meerut —(Concl'd.)	Naglatashi Kasimpur—(Concl'd.)		B. B. B.
		566/1	2	9 0
		566/2	0	10 0
		578	0	4 0
		588	8	6 0
		582	0	4 10
		583	0	7 3
		584	0	11 0
		777	1	6 0
		778/1	2	18 0
		778/2	19	6 0
		779	1	3 0
		780	0	15 0
		781	2	0 0
		782	0	2 5
		783	0	6 0
		784	0	10 0
		785	2	14 0
		786	1	5 0
		787	0	13 0
		788	0	7 0
		789	1	1 0
		790	0	10 0
		791	0	14 0
		792	0	10 0
		793	1	9 0
		794	0	5 0
		795	0	2 5
		796	2	5 0
		797	0	15 0
		798	0	10 0
		GRAND TOTAL	219 6 13	or 137.08 Acres

For what purpose required—For the construction of Residential/Commercial building at Nagla Tashi, Kasimpur, Pargana, Tahsil and district Meerut, by the Meerut Development Authority, Meerut.

NOTE—A site plan of the land may be inspected in the Office of the Collector, Meerut.

By order,
A. P. SINGH,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-प०पी० 1288 राजपत्र (हि०)--(2076)--1987--1830+45 (मेक०)।